शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001
ई–मेल– registrarsnpv@gmail.com , वेबसाईट- https://snpv.ac.in

क्रमांक 2–1–2/813/सम्बद्धता/2021/ 1054 रायगढ़, दिनाँक 25.09.2021

//आदेश//

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्र. एफ 17–37/2021/38–2, नवा रायपुर, अटल नगर रायपुर दिनांक 02.09.2021 द्वारा अनुमति एवं विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्र 2–1–2/संबद्धता, नवीन विषय/813/2021/966 रायगढ़, दिनांक 20.09.2021 के द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर पूर्वांचल महाविद्यालय, सरिया जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2021–22 से निम्नांकित नवीन विषय/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त विषय प्रांरभ करने हेतु विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तो के अधीन अस्थायी संबद्धता प्रदान किया जाता है:–

क्रमांक	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	पी.जी.डी.सी.ए. (नवीन विषय)	30 सीट
02.	एम.ए.– पूर्व (हिन्दी) (नवीन विषय)	30 सीट

निर्धारित शर्ते :–

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तो का पालन किया जावे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता) विनियम–2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तो का पालन किया जावे।
3. परिनियम 28 के प्रावधानानुसार शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति की जावे।
4. विद्यार्थियों के लिए संबंधित विषयों की पर्याप्त किताबें एवं प्रायोगिक सामाग्री शीघ्र उपलब्ध कराया जावे।
5. उपकरणों की शीघ्र व्यवस्था की जावे।

उल्लेखित शर्तो का पालन कर प्रतिवेदन विश्वविद्यालय को दिनांक 20.10.2021 तक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति मे प्रदत्त सीट वृद्धि/नवीन विषय/पाठ्यक्रम/अतिरिक्त अनुभाग संबंधी आदेश आगामी सत्र से स्वयमेव समाप्त मानी जायेगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार

(कृष्ण कुमार चन्द्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक 2–1–2/813/सम्बद्धता/2021/ 1055 रायगढ़, दिनाँक 25.09.2021

प्रतिलिपि:–

1. कुलपति के निज सहायक को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, पूर्वांचल महाविद्यालय, सरिया जिला–रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/9/21
प्रभारी अधिकारी (अका)